

सारीख
हुकूम

4-1-22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित,
प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस करनी चाही।
बहस सुनी गयी। चास्ते पत्रावली कादेश
लेतु नियत दिनांक 18.1.22 को पेश होतु

18-1-22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित,
वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी स्वातेफरी
आराजी नं० 1189 रकबा 0.0759 हेक्टेयर
चाट में आने-जाने लेतु अप्रार्थी की आराजी नं०
1202 रकबा 0.1012 हेक्टेयर भूमि में से 20 फीट
चाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ
की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थीगण
की बहस पर मन्म किया तथा तहसीलदार (मोडल
द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।
तहसीलदार मोडल की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान
में आराजी नं० 1185 गै. मुठ रास्ता व प्रार्थीगण
की संयुक्त स्वातेफरी आ. नं० 1186, 1187, 1188
में से होकर जाते हैं। एवं वैकल्पिक रास्ता
प्रार्थीगण की संयुक्त स्वातेफरी में से आ-जा
रहे हैं। मौके पर रास्ता उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का.
अधिनियम अस्वीकार किया जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर मन्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मोडल जिला पीलवाड़ा